# बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

## सकारण आदेश

जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम, बेतिया के पत्रांक 4(गो0) दिनांक 17.8.04 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री जागेश्वर चौधरी,बिक्रीकर्ता(से0नि0), राज्य खाद्य निगम,बेतिया के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पत्र में यह उल्लेख है कि इनके द्वारा वर्ष 1996-1997,1997-98 एवं 2001-02 के लिए च0व0कर्मी के बकाये भुगतान में 30442.00 रू0 का गलत भुगतान करने का प्रयास किया गया,उल्लिखित आरोप के लिए श्री चौधरी को निगम ज्ञापांक 6511 दिनांक 25.8.04 के द्वारा निलंबित किया गया एवं निगम पत्रांक 7156 दिनांक 29.9.2004 के द्वारा इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री चौधरी द्वारा समर्पित बचाव पत्र एवं जिला प्रबंधक, बेतिया से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के पश्चात समर्पित फलाफल/जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध तथ्यों के छिपाकर गलत वेतन विपत्र दूसरे को लाभ प्राप्त कराने के उद्देश्य से किया गया एवं इससे निगम को आर्थिक क्षति संबंधित आरोप प्रमाणित पाया गया।

निगम मुख्यालय के ज्ञापांक 8756 दिनांक 16.11.04 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त फलाफल/जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति श्री चौधरी को उपलब्ध कराते हुए द्वितीय बचाव पत्र की मांग की गयी। श्री चौधरी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का बचाव पत्र जिला प्रबंधक,समस्तीपुर के माध्यम से दिनांक 7.12.04 को प्राप्त हुआ। श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय बचाव पत्र में कोई नये तथ्य समर्पित नहीं किया गया। इस प्रकार श्री चौधरी के विरूद्ध लगाया गया आरोप स्पष्टतः प्रमाणित है।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के आलोक में निगम ज्ञापांक 48 दिनांक 4.01.2005 के द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया-

"निगम के एक व्यापारित संस्था है जिसके द्वारा सरकार द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मे अन्तर्गत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण की जिम्मेवारी है। इसके सभी स्तर के कार्मिकों से उच्च स्तर पर (Integrity) इमानदारी की आशा की जाती है। ऐसे जालसाज,गलत प्रवृति, कदाचार, अनुशासनहीनता कार्मिक के निगम में रहने से निगम की हितों की रक्षा नहीं हो सकती।

श्री जागेश्वर चौधरी के इस आचरण के कारण इन्हें निगम की सेवा में रखने से निगम की उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

अतः निगम के सर्विस कंडक्ट एण्ड डिसप्लीनरी रूल्स की धारा 27(iv) के तहत श्री जागेश्वर चौधरी,बिक्रीकर्ता, राज्य खाद्य निगम,समस्तीपुर को निगम की सेवा से बर्खास्त(Dismiss) किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में जीवनयापन भत्ता के अतिरिक्त अन्य भत्ता का भुगतान नहीं होगा।

श्री चौधरी द्वारा निगम ज्ञापांक 48 दिनांक 4.01.2005 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय,पटना में CWJC No.4527/2005 दायर किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा दिनांक 4.12.06 निम्न आदेश पारित किया गया-

"This writ application is permitted to be withdrawn. Time limit, if any, shall stand extended for filing of the review upto one month from the date of

this order and if any review is filed by the petitioner, the same is directed to be disposed of within three months from the date of filing of the review."

तत्पश्चात श्री चौधरी द्वारा पुनर्विचार हेतु निगम मुख्यालय में आवेदन दिनांक 19.12.06 को समर्पित किया गया।

श्री चौधरी के आवेदन पर समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि उनके द्वारा कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया। तत्पश्चात निगम ज्ञापांक 1395 दिनांक 01.03.2007 से श्री चौधरी के पुनर्विचार अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अस्वीकृत किया गया तथा श्री चौधरी के बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखा गया।

श्री चौधरी द्वारा मामले पर पुनर्विचार हेतु अपीलीय प्राधिकार खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार,पटना के समक्ष अपील दायर किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग के आदेश ज्ञापांक 6896 दिनांक 30.10.12 के द्वारा विचारोंपरान्त श्री चौधरी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।

श्री चौधरी द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.23405/2012 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.2.14 को निम्न आदेश पारित किया गया।

"6. From the original records, as indicated above, I find that as a matter of fact there was absolutely no enquiry in the name of disciplinary proceeding held against the petitioner. Neither any witness was examined nor any document exhibited or produced before conducting officer, in the presence of the petitioner in support of the charge. In my view, the entire proceeding, in the facts and circumstances of the case, is vitiated. The report of the enquiry officer is perfunctory without any basis or evidence.

7. I accordingly quash the impugned orders dated 04.01.2005 passed by the respondent No.1. I also quash the revisional order dated 01.03.2007 (annexure-1/A) and the appellate order dated 30.10.2012 (annexure-1/B). The respondents are directed to reinstate the petitioner forthwith. The petitioner shall also be entitled to all backwages from the date of his dismissal till date of reinstatement. Such backwages must be paid to the petitioner within a period of six months from the date of his reinstatement. The respondents shall, however, have the liberty to start proceeding afresh from the stage of enquiry against the petitioner.

8. Let the original records produced before this court be returned back to learned counsel for the Corporation.

This writ application is, accordingly, allowed."

उपरोक्त आदेश के विरुद्ध बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP(Civil) Dairy No. 30494/2018 दायर किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा LPA No 1096/2014 में दिनांक 20.2.18 को निम्न आदेश पारित किया गया–

We are not convinced that a case for interference with the order is made even though it is pointed out by the learnd senior counsel for the appellant that so far as the aspect of nonappointment of a Presenting Officer is concerned that fact is belied after having a look at Annexure-3 to the writ application. Mere appointment of a Presenting Officer may not satisfy the requirement if the records do not indicate whether the Presenting Officer participated in the proceeding or he placed any evidence, oral or documentary, which was taken on record. Obviously mere appointment is of no avail to

the present appellants, from the situation they are in. We do not find any infirmity in the order of the learned single Judge which requires rectification in appeal.

Appeal has no merit. It is dismissed.

माननीय उच्च न्यायालय,पटना के आदेश के आलोक में निगम द्वारा SLP(Civil) Diary No. 30494/2018 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया है परन्तु अंतरिम आदेश/स्थगन आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अभी तक अप्राप्त है।

श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय,पटना में पुनः MJC No. 3293/2014 दायर किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.18 को निम्न आदेश पारित किया गया–

"In view of the said communication, which has been brought on record by way of Annexure-B to the the show cause reply, filed on behalf of the contemnor-oposite party, let the matter be listed on 5th of December, 2018. If, in the meanwhile, the opposite parties are not able to obtain any interim order and this Court's order is not complied with, in either of the two situations, the Managing Director of the BSFC shall be required to be personally present in Court."

श्री चौधरी के सेवा पुस्त के अनुसार श्री चौधरी की सेवा निवृति की तिथि 31.03.14 है। ऐसी स्थिति में सेवा में पुनः लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

CWJC No.23405/2012 मे पारित आदेश दिनांक 11.2.14 के अनुपालन में श्री चौधरी के सेवा बर्खास्तगी की तिथि 4.1.2005 से सेवा निवृति की तिथि 31.3.2014 तक देय वेतन एवं अन्य भत्ते के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,समस्तीपुर को आदेश दिया जाता है कि श्री जागेश्वर चौधरी को देय वेतन भत्ता का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त आदेश SLP(Civil) 30494/2018 के न्याय निर्णय से प्रभावित होगा एवं इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा।

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः–FDP-10:03:01:30:04 13362 दिनांक– 03/12/18

प्रतिलिपि–श्री जागेश्वर चौधरी,बिक्रीकता(से0नि0),राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– विपत्र लिपिक,निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0मैनेजर,निगम मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया आदेश को अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि–जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक/सतर्कता शाखा,निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक